परिपत्र सं. 21/21/2017-जीएसटी

फा.सं. 354/320/2017-टीआरयू (पीटी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

कर अनुसंधान एकक

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक 22 नवंबर, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/
केंद्रीय कर आयुक्त (सभी)/महानिदेशक प्रणाली

विषयः रिक्स, टूल्स और स्पेयर्स तथा पहियायुक्त सभी सामानों [जैसे कि क्रेन्स] के अंतर्राज्जीय आवागमन का वर्गीकरण-के विषय में

वाहन के विभिन्न साधनों के अंतर्राज्जीय आवागमन, जो कि केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 25(4) में यथा विनिर्दिष्ट सुस्पष्ट व्यक्तियों के बीच हो रहा हो, जिसमें माल या यात्री या दोनों लाये ले जाए जाते हों; या जो मरम्मत या रख-रखाव के लिए लाया ले जाया जाता हो [उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसा आवागमन उसी वाहन की आगे की आपूर्ति के लिए हो रहा हो], को आईजीएसटी से छूट दिए जाने के मुद्दे की जांच-परख की गई और एक परिपत्र सं. 1/1/2017-आईजीएसटी दिनांक 07-07-2017 को जारी करके यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ऐसे अंतर्राज्जीय आवागमन को "न तो वस्तुओं की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति" और परिणामतः ऐसे आवागमन पर कोई आईजीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

2. रिक्स, टूल्स और स्पेयर्स तथा पहियायुक्त सभी सामानों [जैसे कि क्रेन्स] के आवागमन के मुद्दे पर दिनांक 10 नबंवर, 2017 को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और परिषद ने यह सिफारिश की थी कि परिपत्र सं. 1/1/2017-आईजीएसटी यथा आवश्यक संशोधनों के उपरांत ऐसी वस्तुओं के अंतर्राज्जीय आवागमन पर लागू होगा और उन मामलों को छोड़कर जहां कि ऐसा आवागमन उसी वस्तु के आगे की आपूर्ति का हो रहा हो, ऐसे अंतर्राज्जीय आवागमन को "न तो वस्तुओं की आपूर्ति माना जाएगा और न सेवाओं की आपूर्ति" और परिणामतः ऐसे आवागमन पर कोई आईजीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

3. इस संदर्भ में यह बात पुनः कही जाती है कि सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी, जैसी भी स्थिति हो ऐसी वस्तुओं की मरम्मत और रख-रखाव पर लागू होगी।

4. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जायें।

(रूचि विष्ट)

अवर सचिव (टीआरयू)